प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह के बढ़ते दुरूपय पर अंकु ा लगाने के प्रयास पर कार्यान्वयन हेतु महानिदे ाक भारतीय मानक ब्यूरो के दि ाा निर्दे ा के अनुपालन हेतु दिनांक **20.12.2016** को **लखनऊ** ाखा कार्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता से **आगरा** जनपद में मारे गए छापे के दौरान इकाई से आव यक साक्ष्य प्राप्त किए गये इन साक्ष्यों के आधार पर उत्पादक इकाई के विरूद्ध सक्षम–न्यायालय में दण्डात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। छापे के दौरान पकड़ी गई उत्पादन इकाई तथा सम्बंधित उत्पाद का विवरण निम्नानुसार है :–

इकाई का नाम –वैष्णो वाल्व कम्पनी, आगरा

उत्पाद –स्लूईस वाल्व फार वाटर वर्क्स

ब्राण्ड – OK, Sourya

भारतीय मानक ब्यूरो, लखनऊ ाखा वैज्ञानिक सी, श्री पी एन यादव, के अनुसार ाखा कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने पूरे उत्तरदायित्वों के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने सूचित किया कि ाखा कार्यालय द्वारा समय – समय पर इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी की जाती रहेगी, ताकि भारतीय मानक प्रमाणन चिन्ह पर जन साधारण का वि वास बना रहे तथा आम उपभोक्ता के अधिकारों की सुचारू रूप से रक्षा की जा सके।

श्री यादव ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें तथा जहां कहीं भी उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह के दुरूपयोग का सन्देह हो, उसकी सूचना तुरन्त भारतीय मानक ब्यूरो के पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित कार्यालय में देवें ताकि आव यक खोजबीन के प चात् ऐसी इकाईयों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।